

## आर्थिक नीतियाँ

- भूराजस्व बढ़ोबस्त
- कृषि का बाणिज्यीकरण
- कृषि के पिछड़ेपन के कारण
- उद्योगों के पतन के कारण और परिणाम
- आधुनिक उद्योगों का विकास
- परिवहन एवं संचार (रेलवे)
- धन का दोहन
- अकाल
- उपनिवेशवाद के तीन चरण

भूराजस्व बढ़ोबस्त

→ **स्थायी** - 1971 अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन पर

→ **इस्तमरारी** - 51% क्षेत्र पर

→ **महाजद्वारी** - 30% क्षेत्र पर

स्थायी बढ़ोबस्त :- जमींदारी / इस्तमरारी बढ़ोबस्त

पृष्ठभूमि :-

- 1757 में 24 परगना की जमींदारी कंपनी को दी गई
- 1760 में वर्द्धमान, मिर्जापुर और चरगांव की

जमींदारी दी गई।

- 1765 ई. में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पर्वानी अधिकार कंपनी को दिया गया।
- 1772 में पांच वर्षों के लिए भू-राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किया गया।
- 1774 में प्रतिवर्ष भू-राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किया जाने लगा।  
ज्वारेदारी ठेक पर राजस्व वसूली
- 1790 में 10 वर्षों के लिए भू-राजस्व वसूली का अधिकार नीलाम किया गया और 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया।

तत्कालीन :-

• 1793 में कार्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था  
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ भागों तक (लगभग 19% क्षेत्र)

विशेषता :-

- इस बंदोबस्त के अन्तर्गत समस्त भूमि का मालिक जमींदारों का माना गया और



मालिकाना हक वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बना दिया गया।

- सरकार को भू-राजस्व की अदायगी जमींदारों के द्वारा की जायेगी।
- मालिकाना हक के साथ एक शर्त यह जुड़ी हुई थी कि निर्धारित तिथि पर निपट राजस्व यदि संप्रति से पहले जमा नहीं किया गया तो मालिकाना हक सरकार दीन लेगी।
- भू-राजस्व का निर्धारण सरकार ने विद्वले अनुभवों को देखते हुए और मनमाने तरीके से किया।
- अलग-अलग जमींदारों से भिन्न-भिन्न शर्तों या भू-राजस्व की राशि निर्धारित की गई। लेकिन जो भी निर्धारित की गई उसका 10/11वाँ हिस्सा सरकार को देना होता था और एक हिस्सा जमींदारों के पास रह जाता था।
- स्थानीय बजट में भू-राजस्व के पुनः निर्धारण का प्रावधान नहीं था।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का प्रावधान नहीं था।
- मूल कानून में किसानों एवं जमींदारों के बीच समझौते का प्रावधान था।

लेकिन भारे चलकर कानूनों को संशोधित किया गया और किसानों को जमींदारों की दया पर दौड़ दिया गया।

कारण :-

सरकारी तर्क :-

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि और जमींदारों एवं किसानों के लाभ को देखते हुए इसे लागू किया गया।

वास्तविक कारण

आर्थिक कारण :-

- आम की दरभारा एवं आप में वृद्धि के लिए
- इन पैसों की आवश्यकता थी भारतीय उत्पादों का प्रतीक के लिए तथा भारतीय प्रशासन एवं सैन्य आधिपत्य के संचालन में।

राजनीतिक कारण :-

- जमींदार के रूप में एक राजनीतिक सहयोगी की आवश्यकता, न केवल भू-राजस्व वसूली के लिए बल्कि ग्रामीण भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अंग्रेजों के प्रति उभरते हुए असंतोष एवं दमन के लिए।



- प्रशासनिक अनुभव की कमी तथा प्रत्येक किसानों से श्रुत राजस्व वसूलने में प्रशासनिक खर्चों बढ़ जाते थे।

प्रभाव :- सरकार, जमींदार एवं किसानों पर

सरकार पर प्रभाव :-

सकारात्मक :

जिन वास्तविक उद्देश्यों को हमान में रखकर सरकार ने बंदोबस्त को लागू किया उसमें एक बड़ी सीमा तक सरकार को सफलता मिली जैसे- आम की स्थिरता, प्रशासनिक खर्चों को सीमित रखना, राजनैतिक सहयोगी के रूप में जमींदार इत्यादि।

नकारात्मक :-

- सरकारी राजस्व में वृद्धि की संभावना नहीं।
- किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ और इन क्षेत्रों में नागरिक विद्रोह एवं किसान विद्रोह का कारण बना।
- शागेचलकर किसानों के बीच राष्ट्रीय चेतना का भी उदय एक महत्वपूर्ण कारण बना।

## जमींदारी पर प्रभाव :

### नकारात्मक :-

- भूराजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण प्रारम्भ के 15 वर्षों के भीतर लगभग आधे जमींदारी से जमींदारी अधिकार छीन लिए गए। इससे जमींदारों को आर्थिक नुकसान हुआ और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचा।

### सकारात्मक :

- इस बंदोबस्त से जमींदारों को अधिक आर्थिक लाभ हुआ। आर्थिक रूप से देखें तो भूमि पर मालिकाना हक में वृद्धि हुई। सामुदायिक सम्पत्ति पर भी जमींदारों को नियंत्रण दिया गया और किसानों को जमींदारों की दम पर धोखा दिया गया। इन सब से जमींदारों की आय में वृद्धि हुई। राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के सहयोगी होने के कारण समाज और प्रशासन पर उनका प्रभाव बढ़ा।



## किसानों पर प्रभाव :-

- किसानों की दृष्टिकोण से यह बर्बरता अधिक नुकसान देह एवं दुःखदायी रहा।
- भूमि पर मालिकाना हक दीन जाने से न केवल उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची बल्कि अपनी ही भूमि पर किरायेदार बन गए।
- आर्थिक दृष्टिकोण से भी किसानों को व्यापक नुकसान हुआ जैसे भूमि पर मालिकाना हक दीन जाने से और जमींदारों की दमा पर रहने के कारण किसानों की आय कम हुई।
- सामुदायिक सम्पत्ति का उपयोग जमींदारों की अनुमति के बिना अब नहीं कर सकते थे इससे भी उनका जीवन प्रभावित हुआ।
- भूराजस्व का अल्पाधिक दबाव, समय पर राजस्व का भरा करने का दबाव तथा प्राकृतिक आपदा में राहत न मिलने के कारण किसानों को कर्ज लेना पड़ा।

- किसानों ने महादनों या साहूकारों से कर्ज लिया एक बार कर्ज लेने के पश्चात महादनों की पकड़ से बाहर निकलना मुश्किल था।

नोट:-

- इस बंदोबस्त के अन्तर्गत अनुपायित जमींदारों की संख्या बढ़ी।
- जमींदारों एवं किसानों के बीच बिक्रीद्वियों की संख्या बढ़ी।
- बंदोबस्त के कारण महादनों की संख्या भी बढ़ी।